

## भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक/तिथि आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर की गई कार्रवाई

2/01/2020

विविध वाद सं०-.....16 (S.T.)/2019-20/CNT-46  
 लखीराम सोरेन, पिता-स्व० चैतान सोरेन उर्फ चैतान संधाल .....आवेदक  
 -----बनाम-----

महादेव मुण्डा, पिता-विश्वनाथ मुण्डा..... क्रेता  
आदेश

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत आवेदक (विक्रेता) लखीराम सोरेन, पिता-स्व० चैतान सोरेन उर्फ चैतान संधाल, ग्राम-बांसकाटिया, थाना-धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति-"संधाल" (अ०ज०जा०) द्वारा निम्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता महादेव मुण्डा, पिता-विश्वनाथ मुण्डा, ग्राम-तैतुलडांगा, थाना-धालभूमगढ़, अंचल-धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति- "मुण्डा" (अ०ज०जा०) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया है:-

अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
धालभूमगढ़	बांसकाटिया	391	18	147	0.07ए०

संबंधित अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक-23/02/2019 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरुद्ध किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 10/03/2019 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के पत्रांक-385, दिनांक:-08/07/2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा अपत्ति नहीं दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में आवेदक के पिता चैतान सावताल, पिता-लखीराम सावताल के नाम पर दर्ज है। आवेदक उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा है। आवेदक आवेदित जमीन को बेचना चाहते है। आवेदित भूमि आवेदक के पिता चैतान सावताल के नाम पर खतियान एवं पंजी-11 में दर्ज है तथा लगान भी उन्ही के नाम से काट रहा है। आवेदित भूमि से संबंधित मुखिया, ग्राम पंचायत, नुतनगढ़ का वंशावली प्राप्त है। प्राप्त वंशावली के अनुसार आवेदक ही आवेदित भूमि का एकमात्र वारिस है। जमीन का किस्म पुरानी परती काबिल आबाद है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता है। इसके संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या-56, दिनांक-21 / 10 / 2019 दाखिल की गई है।

आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता है। आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के हैं तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इसके संबंध में विक्रेता की ओर से

*(Handwritten Signature)*  
 02/01/2020

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धालभूमगढ़ द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या-JHCC/2019/406648, दिनांक-21/05/2019 तथा अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र संख्या-JHRC/2019/357467, दिनांक-04/06/2019 एवं क्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला से निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र संख्या-857/2009, दिनांक-22/07/2009 तथा अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या-903/2009, दिनांक-25/08/2009 तथा आधार कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आवेदक 0.07 एकड़ भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल-2,00,000.00/- (दो लाख) रुपये में बेचना चाहते हैं। मूल्य तालिका के अनुसार मौजा-बांसकाटिया का आवासीय योग्य भूमि का सरकारी मूल्य प्रति डीसमल 4240.00 रुपये निर्धारित है। इस प्रकार भूमि का कुल रकवा 0.07 एकड़ का विक्रय दर 29,640.00 रूपया होता है। तदनुसार क्रेता द्वारा विक्रेता को सरकारी दर से अधिक राशि में भूमि का बिक्री किया जा रहा है।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी धालभूमगढ़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा-बांसकाटिया, थाना नं-391, खाता नं-18, प्लॉट नं-147 कुल रकवा-0.07 एकड़ भूमि की अन्तरण हेतु आवेदक (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता है कि क्रेता-बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल/कब्जा/कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वयं जिम्मेवार होंगे।

लेखापित एवं संशोधित

*Handwritten signature*  
अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त  
-सह-सह-  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
घाटशिला।

*Handwritten signature*  
अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
घाटशिला।

*C.C. of final order  
is issued  
18/01/2020*